



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)**  
**जलकल विभाग, नगर निगम, ऐशबाग, लखनऊ**

प0सं0:- 2847/EE(HQ)/FSSM Bye-Laws/25=26

दिनांक:- 7/3/26

**अधिसूचना**

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि नगर निगम, लखनऊ ने अपनी सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। विभाग एतद द्वारा ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्संबंधी और प्रासंगिक अथवा आनुशंगिक मामलों के लिए नगर निगम, लखनऊ फीकल स्लज सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन (FSSWM) विनियम 2024 लागू करने हेतु ड्राफ्ट किये गये उपनियमावली (विनियम), जिसकी मा0 सदन नगर निगम, लखनऊ के मद संख्या-31 व संकल्प संख्या-131 के द्वारा अनुमोदन किया गया है। उक्त उपविधि की विस्तृत प्रति/विवरण जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ की वेबसाइट [www.jklmc.gov.in/notification](http://www.jklmc.gov.in/notification) एवं नगर निगम, लखनऊ की वेबसाइट [www.lmc.up.nic.in](http://www.lmc.up.nic.in) पर देखा जा सकता है। उपविधियों का प्रारूप यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु 15 दिवस के अन्दर आपत्तियां एवं सुझाव नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित करते हुए कार्यालय को या ई-मेल आई०डी० [jalkalko@gmail.com](mailto:jalkalko@gmail.com) पर प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा जो नियत तिथि तक प्राप्त होंगी निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त न होने की दशा में उपविधि का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा, जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

अधिशासी अभियन्ता (मु0)  
जलकल विभाग,  
नगर निगम, लखनऊ।

सेवा में,

मेसर्स शरद एंडवरटाइजिंग प्रा0लि0  
बी0एल0-13, बेसमेन्ट अलीशा अपार्टमेन्ट,  
मदनमोहन मालवीय मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

महोदय,

उपरोक्त सूचना (बाक्स मे) को सम्मानित दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान", "अमर उजाला", "द टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी संस्करण)", "दैनिक जागरण" तथा नवभारत टाइम्स के लखनऊ संस्करण में मुख्य पृष्ठ एवं अन्तिम पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम आकार सिंगल कॉलम में केवल 01 बार प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं प्रकाशन के उपरान्त भुगतान हेतु अपना देयक दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।

(प्र0) अधिशासी अभियन्ता (मु0)

प0स0 एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि:-महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्र0) अधिशासी अभियन्ता (मु0)





कार्यालय महाप्रबन्धक

जलकल विभाग, नगर निगम, ऐशबाग लखनऊ-226004

प0सं0 2846/EE(HQ)/FSSM Bye-Laws/25-26 7/3/26 दिनांक

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिए राज्य मॉडल उपविधि

अधिसूचना

जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 एवं उसमें दी गई उपधाराओं तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिए गये दिशा निर्देशों के क्रम में ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं। इस अधिसूचना से यदि किसी भी व्यक्ति/समाजिक संस्थान को कोई आपत्ति/सुझाव है, तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ में लिखित रूप में अपनी आपत्ति/सुझाव दे सकते हैं।

क्षेत्र (स्कोप)

यें उपविधि नगर निगम लखनऊ की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय के भवनों पर लागू होगा।

  
EE(HQ)

  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग



## अध्याय – I

### प्रारम्भिक

#### 1. संक्षेप – शीर्षक, विस्तार और आरम्भ

- (i). इन उपविधियों को '(नगर निगम, लखनऊ) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2023' कहा जायेगा।
- (ii). ये गजट में प्रकाशित होने की तारीख से क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

#### 2. परिभाषा

- (i). "एक्सेस कवर" का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;
- (ii). "अपेलेट बॉडी" निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिलकर बना एक समूह है, जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है;
- (iii). "फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट" उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है;
- (iv). "को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फीकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;
- (v). "विकेन्द्रीयत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली" का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनो घटकों के लिये प्रयुक्त होते हैं;
- (vi). "नियुक्त अधिकारी" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गये किसी अन्य कार्य करने के लिये अधिकृत किया गया हो;

  
EELH

महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

- (vii). "डिस्लजिंग" का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;
- (viii). "निस्तारण" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;
- (ix). "एफ्लूयन्ट" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);
- (x). "फीकल स्लज एवं सेप्टेज" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;
- (xi). "फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (FSTP)" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;
- (xii). "ग्रे वाटर" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है, जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;
- (xiii). "होस्ट यूएलबी" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय 'होस्ट' बना रहेगा;
- (xiv). "ईनसैनिटरी लेट्रिन्स" का तात्पर्य है उन शौचालयों है जहां रात की मिट्टी (मल कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गढ़बों में डाल दिया जाता है;
- (xv). "लाइसेंस" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति है, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अन्तर्गत किया जाता है;
- (xvi). "लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर" (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;
- (xvii). "अधिसूचित स्थान" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;
- (xviii). "ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवा और उसके आस-पास के भूखण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखण्ड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं;



  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

- (xix). "ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;
- (xx). "मालिक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;
- (xxi). "व्यक्ति" का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कम्पनी को संदर्भित करता है। प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;
- (xxii). "सैनिटरी लेट्रिन्स" का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किये गये डिजाइन विनिर्देश और दिशा निर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो;
- (xxiii). "सेप्टिक टैंक" भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवासीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।
- (xxiv). "शेड्यूल डीस्लजिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईआईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अन्तराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।
- (xxv). "सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजाइन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज।
- (xxvi). "सीवेज" का अर्थ है और ग्रे पानी का मिश्रण है, जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, इसे वेस्ट वाटर/यूज्ड वाटर भी कहा जाता है।
- (xxvii). "सीवर" वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।
- (xxviii). "सीवेज पम्पिंग स्टेशन" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पम्प-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पम्प करके भेजा जाता है।

  
EEMHA

  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए राज्य मॉडल उपविधि

(xxix). "सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

(xxx). "निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी" का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिये निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।

(xxxii). "परिवहन या ढुलाई" का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

(xxxiii). "उपचार" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिये एफएसएस/मल/जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना का बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

(xxxiv). "उपचार सुविधा" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशा निर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल।


(xxxv). "यूएलबी क्लस्टर" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय के साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

(xxxvi). "निकाय पंजीकृत (वैक्यूम) टैंक" का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो

(xxxvii). "निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)" ऐसा वाहन होता है, जिसमें एक पम्प और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिये बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये भी किया जाता है।

(xxxviii). "अपशिष्ट जल (वेस्ट वाटर)/यूज्ड वाटर" का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।





महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

(xxxviii). "कमी" का अर्थ है लाइसेंसीधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

11-1715315

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं, लेकिन जिन्हे अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है। उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत कमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति मल जल उपचार/निस्तारण उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

प्रस्तावना की प्रतिलिपि एक साथ आश्रीमाह में प्रस्तुत है

प्रति आश्रीमाह है कमीयत प्रदाय (कमी) डिपार्टमेंट, राजस्थान के कमीयत डिपार्टमेंट के प्रमुख के द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है।  
**महाप्रबन्धक**  
**जल कल विभाग लखनऊ**

प्रति आश्रीमाह है कमीयत प्रदाय (कमी) डिपार्टमेंट, राजस्थान के कमीयत डिपार्टमेंट के प्रमुख के द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। (i)

प्रति आश्रीमाह है कमीयत प्रदाय (कमी) डिपार्टमेंट, राजस्थान के कमीयत डिपार्टमेंट के प्रमुख के द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। (ii)

प्रति आश्रीमाह है कमीयत प्रदाय (कमी) डिपार्टमेंट, राजस्थान के कमीयत डिपार्टमेंट के प्रमुख के द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। (iii)

प्रति आश्रीमाह है कमीयत प्रदाय (कमी) डिपार्टमेंट, राजस्थान के कमीयत डिपार्टमेंट के प्रमुख के द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत की गई है। (vi)

Handwritten signature and stamp area.

## अध्याय-II

# अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

### 3. परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

निकाय में प्रत्येक सम्पत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें अन्य के अलावा शामिल है आवासीय और व्यावसायिक, प्रस्तावित या वर्तमान) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

- (i). यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिये कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कराकर करें।
- (ii). अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।
- (iii). यदि सम्पत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या टिवन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती है (देखे परिशिष्ट-1)।
- (iv). वे परिसम्पत्तियाँ जिनके परिसर के भीतर 2000 वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीयत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि सम्पत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। सम्पत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फलशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

(Signature)

महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

## अध्याय-III

# ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

### 4. मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे: उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बन्द कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।

### 5. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव

- (i). ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा (नगर निगम, लखनऊ) या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।
- (ii). ओएसएस से जुड़ी सम्पत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिये जिम्मेदार होंगे।
- (iii). परिसर का मालिक (नगर निगम, लखनऊ) द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।
- (iv). परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।
- (v). परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या (नगर निगम, लखनऊ) के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई न हो।

  
(EENHA)

  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

(vi)—नियमों के पालन के लिये (नगर निगम, लखनऊ) या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। (नगर निगम, लखनऊ) समय-सीमा के भीतर अपने खर्च पर अपशिष्ट जल प्रबन्धन और निस्तारण से सम्बन्धित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

(vii)—नगर निगम, लखनऊ अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए सम्पत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना

नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी का कार्यालय

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।  
 1. नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।  
 2. नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।  
 3. नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।  
 4. नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।  
 5. नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।  
 6. नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।  
 7. नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।  
 8. नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।  
 9. नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।  
 10. नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।

*(Handwritten Signature)*  
 महाप्रबन्धक  
 जल कल विभाग, लखनऊ

नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी का कार्यालय

- (i) नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।
- (ii) नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।
- (iii) नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।
- (iv) नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।
- (v) नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।
- (vi) नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।
- (vii) नगर निगम लखनऊ के अधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सूचित किया जाता है।

*(Handwritten Signature)*  
 महाप्रबन्धक  
 जल कल विभाग, लखनऊ

## अध्याय-IV

# फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और दुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

### 6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

- (i). नगर निगम, लखनऊ वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएं प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।
- (ii). नगर निगम, लखनऊ अपने कर्मियों सहित ऑपरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहाँ उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और दुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।
- (iii). जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फार्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।
- (iv). नगर निगम, लखनऊ ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।
- (v). इन विनियमों के फार्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

### 7. लाइसेंस जारी करने की शर्तें

- (i). लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।
- (ii). आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिड़काव रहित परिवहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।



महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

VI-17/2018

- (iii). लखनऊ शहर में परिचालन के लिए वाहन परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा।
- (iv). आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर निगम, लखनऊ के साथ पंजीकृत करेगा।
- (v). आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।
- (vi). आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर निगम, लखनऊ या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है।
- (vii). आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक है। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

#### 8. लाइसेंस के लिए आवेदन

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएसका निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फार्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर निगम, लखनऊ द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फार्म-2, परिशिष्ट-5)।

#### 9. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर निगम, लखनऊ द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

#### 10. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।



महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

10. पंजीकरण के शुल्क और वैधता

- (i). ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क ₹0 2000.00
- (ii). पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिनियम 02 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(iii). लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क: ₹0 1,000.00

11. लाइसेंस ऑपरेटर का विज्ञापन

शहर का नगर निगम, लखनऊ द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसधारी ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12. जागरूकता अभियान

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, दुलाई और निस्तारण हेतु नगर निगम, लखनऊ द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाया जाएगा।

*(Handwritten signature)*  
महप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ



- (ii). आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।
- (iii). डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।
- (iv). ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर निगम, लखनऊ वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।
- (v). वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।
- (vi). फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार नगर आयुक्त या महाप्रबन्धक जलकल, और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

## 16. ढुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

## 17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।


## 18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

## 19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिविशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

  
CEO

  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

## 20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण

- (i). लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर निगम, लखनऊ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।
- (ii). लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।
- (iii). होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

## 21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार

- (i). निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।
- (ii). नगर निगम, लखनऊ होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।
- (iii). नगर निगम, लखनऊ वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।
- (iv). संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर दिए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
- (v). होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे उपचार सुविधा में निस्तारित किया जा सकता है।
- (vi). एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि होस्ट यूएलबी को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

## 22. निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य

- (i). निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है) उस नगर निगम लखनऊ) होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।
- (ii). निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

- (iii). यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फोकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।
- (iv). नगर निगम, लखनऊ विनिर्दिष्ट वाहनों को गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।
- (v). होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।
- (vi). यदि "होस्ट यूएलबी" को क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो निकाय का नाम को एक नए "होस्ट यूएलबी" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

### 23. कर्मियों का प्रशिक्षण

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फोकल स्लज एवं सेप्टेज की फोकल स्लज निकासी, दुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

### 24. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच


यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल राहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।


### 25. बीमा

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देपर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 और 2003 को रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य में फोकल सनज एवं सेप्टेज की निकाली दूताई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना को स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27-03-2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

### 26. लाइसेंस रद्द किया जाना

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंसधारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है, जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

  
EER H&A

  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

## अध्याय—VI

### फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

#### 27. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान

- नगर निगम, लखनऊ उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या (नगर निगम लखनऊ) के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।
- उपचार सुविधा के अभाव में नगर निगम, लखनऊ, आस पास के होस्ट यूएलबी जिसमें सुचारु उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)
- फीकल स्लन एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर निगम, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूएलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खंड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

#### 28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण

नगर निगम, लखनऊ, जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

#### 29. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति

- फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी)
- फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यूएलबी" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (लिंग तटस्थ) नियुक्त करेगा। यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं।

#### 30. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय

[नगर निगम, लखनऊ] द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर निकाय नगर निगम, लखनऊ द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

#### 31. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।



  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

**32. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण**

नगर निगम, लखनऊ द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

**33. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल**

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल रलज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

*(Handwritten signatures and initials)*

नगर निगम लखनऊ

कृषि विभाग लखनऊ  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

कृषि विभाग लखनऊ के द्वारा किसानों को उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

*(Faint official stamps and signatures at the bottom of the page)*

## अध्याय—VII

### प्रशासन और प्रवर्तन

#### 34. प्रशासन और प्रवर्तन

- (i). इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ (नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल) द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।
- (ii). नगर निगम, लखनऊ फीकल स्लज को निकासी, दुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फ्रीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।
- (iii). नगर निगम, लखनऊ शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फोकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- (iv). नगर निगम, लखनऊ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी दुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसर्पोस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

#### 35. जांच के लिए विशेष शक्ति

- (i). इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर निगम, लखनऊ के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

#### 36. नियम उल्लंघन और जुर्माना

- (i). इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।
- (ii). किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारियों के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फोकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।
- (iii). इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एफ एस एस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।



  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

(iv). जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

(v). संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

### 37. अपील

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

### 38. विवाद समाधान उपविधि

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर निगम, लखनऊ के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

### 39. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

### 40. संदर्भ प्रलेख

उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

### 41. डी-स्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार

अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लन निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

### 42. उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	प्रकार
001		01.0	8
002		06.0	5
003		08.0	5
004		01.1	05
005		01.1	05

*(Signature)*  
महाप्रबन्धक

महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

## परिशिष्ट-1

(खंड 2(xxiii), 3(iii) और 5(1)देखें)

### सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 (भाग 1) 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन चताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

### सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

- आयताकार: लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से 4
- गहराई। 1.0 से 2.5 मी. के बीच
- दो कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3
- तीन कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा
- मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

### सेप्टिक टैंक अनुशासित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी0)
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1: सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2: फी बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत: सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल - भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईओ, 2012

*(Signature)*  
22/11/22


*(Signature)*  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

## सेप्टिक टैंक की क्षमता

टैंक को क्षमता फोकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुएं हैं:

- अवसादन (सेडीमेंटेशन): निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशन: डेएजेशन जोन को क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए
- फीकल स्लज और मल भंडारण: फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता  $0.0002 * 365 = 0.073 \text{ m}^3/\text{कैपिटा}$  की आवश्यकता होती है।
- फ्री बोर्ड: कम से कम 0.3 मी.

## सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन



सभी माप मिलीमीटर में (मिमी)

स्रोत: सीवरेज और सीवेज उपचार पर मैनुअल - भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

*[Handwritten Signature]*

महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लेखनक



24.	मल्टीप्लेक्स	2000
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1800
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2200
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2500
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3000
29.	विवाह हॉल/बैकवेट हॉल	2500
30.	बार	2500
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1800
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड तक)	2800
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	1800
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड तक)	2200
35.	पैथलॉजिकल लैब	1500
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2500
37.	निजी अस्पताल (21 से 50 बिस्तर तक)	2500
38.	निजी अस्पताल (50 से अधिक बिस्तर तक)	3500
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2000
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2000

स्रोत: सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक सन्दर्भ लिया गया है।

नोट: 1. उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकायद्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2. उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी पर आधारित है। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए, जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडाम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

*(Signature)*  
EHA

महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

0005	एक/प्रतिदिन	25
0007	(शिका 01 के 10) प्राणायाम	25
0008	(शिका 02 के 10) प्राणायाम	25
0009	(शिका 03 के 10) प्राणायाम	25
0010	(शिका 04 के 10) प्राणायाम	25
0011	(शिका 05 के 10) प्राणायाम	25
0012	(शिका 06 के 10) प्राणायाम	25
0013	(शिका 07 के 10) प्राणायाम	25
0014	(शिका 08 के 10) प्राणायाम	25
0015	(शिका 09 के 10) प्राणायाम	25
0016	(शिका 10 के 10) प्राणायाम	25

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए राज्य मॉडल उपविधि

### परिशिष्ट-3

(खंड:7 (vii) देखें)

#### बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए:-

- (i). शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं।
- (ii). शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट
- (iii). सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है।
- (iv). सेफ्टी टॉर्च
- (v). भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं।
- (vi). संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छीटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स
- (vii). टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है।
- (viii). दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयर प्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आस पास उपयोगी होते हैं। जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है।
- (ix). आपात कालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट
- (x). गैस मॉनीटर
- (xi). हेड लैंप
- (xii). गाइड पाइप सेट
- (xiv). वेडर बूट
- (xv). एयर कंप्रेसर और ब्लोअर
- (xvi). मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाय ट्रॉली सिस्टम
- (xvii). रेनकोट

*(Handwritten signature)*  
ERH

*(Handwritten signature)*  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

# परिशिष्ट-4

(खंड:6 (iii) और 8 देखें)

## नगर निगम लखनऊ Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1: नगर निगम, लखनऊ में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम: (श्री/सुश्री):.....
2. पता:.....
3. पंजीकृत कार्यालय का पता:.....
4. टेलीफोन नंबर: (कार्यालय).....  
(मो.):..... ईमेल आईडी:.....
- 6.

मल-कीचड़ साफ करने वाले वाहनों का विवरण

स0न	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की क्षमता (लीटर में )	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
i						
ii						
iii						
iv						



मह:प्रबन्धक  
शुद्ध कल विभाग लखनऊ



## नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहित किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा जायेगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में  $Xy$  दिनों पर  $x: am$  से  $y: pm$  तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।



महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

## परिशिष्ट-5

(खंड: 6 (v) और 8 देखें)

लाइसेंस प्रारूप

### नगर निगम लखनऊ

### License for Private Desludging operator

फॉर्म 2: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

नगर निगम, लखनऊ में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है:

1. आवेदक का नाम: (श्री/सुश्री): .....
2. पत्राचार का पता: .....
3. निकाय (नगर निगम का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्या: .....
4. मान्यता: ..... से .....
5. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन : (i) ..... (ii) .....

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

  
EERH/2

महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

## नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा जायेगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में Xy दिनों पर x: am से y: pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

*(Signature)*  
E.A.H.A.

महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

## परिशिष्ट-6

(खंड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

### फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन का रिकॉर्ड  
 नगर निगम, लखनऊ में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड  
 बनाए रखने के लिए

दिनांक : ..... | समय: .....

#### I. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

- नाम: .....
- पता: .....
- (क) वार्ड संख्या: .....
- (क) टेलीफोन नं: .....

#### II. रोकथाम

- निर्माण का वर्ष: ..... 2. पिछला कीचड़ निकाला (MM/YYYY): .....
- आउटलेट मौजूद (हाँ/नहीं): ..... 4. यदि हां, तो किससे जुड़ा है: .....
- रोकथाम के प्रकार: (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंक दिवन		द्वीन पिट (पंक्तिबध)	
संग्रह टैंक		द्वीन पिट (ऑनलाइन्ड)	
सेख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

*(Handwritten signature)*

महाप्रबन्धक  
 पब्लिक वल विभाग लखनऊ

4. रोकथाम का आकार और आकार : नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

5. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरह		अन्य	

**III. कीचड़ साफ करना**

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर) ..... 2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समय: .....

3. ट्रिप की लंबाई (किमी): ..... 4. आने-जाने में समय: .....

**IV. कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण**

ऑपरेटर का नाम: .....

ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर: .....

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर

उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

*[Handwritten Signature]*  
 (Signature)

**महाप्रबन्धक**  
**जल कल विभाग लखनऊ**

## परिशिष्ट-7

(खंड 21 (i), 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

**फार्म 4:** "होस्ट यूएलबी" पर "उपलब्ध संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट (नगर निगम लखनऊ) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फार्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए "होस्ट यूएलबी" (नगर निगम, लखनऊ) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" (नगर निगम, लखनऊ)

द्वितीय पक्ष अन्य यूएलबी" (सम्पर्क करने वाले निकाय का नाम— नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/अन्य)

उपबंध :

1. यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा/वर्ष (अंतिम तिथि)
2. "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।
3. यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में ₹0 2000 प्रति0 कि0मी0 के परिधि के अन्दर (15 कि0मी0 से अधिक दूरी होने पर ₹0 25 प्रति0 कि0मी0 अतिरिक्त देय होगा) देने के लिए सहमत है।

*[Handwritten Signature]*  
ERH

महाप्रबन्धक  
खल कल विभाग लखनऊ

8-आग्निपत्र

4.	यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत यात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
5.	कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।	8	आग्निपत्र के तहत प्रदर्शित कार्य	1.1
6.	कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.1
7.	प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
			प्रथम पक्ष	1.5
			द्वितीय पक्ष	1.5
			अधिसासी अधिकारी का हस्ताक्षर	1.5
			प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5

प्रथम पक्ष

नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष

अधिसासी अधिकारी का हस्ताक्षर

08	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
08	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
08	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
08	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
08	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
08	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
08	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
08	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
08	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5
08	8	प्रथम पक्षी का निरीक्षण का प्रदर्शित	1.5

*(Signature)*  
EEM&

महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

निम्नलिखित कार्य प्रथम पक्षी के तहत प्रदर्शित हुए कार्य प्रकल्प

## परिशिष्ट-8

### जुर्माना और फाइन

क्रम संख्या	विवरण	खंड संख्या	सांकेतिक सीमा (रु में)	फाइन	जुर्माना (रु या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50		
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50		
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10 प्रति दिन		संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100		
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100		
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10 प्रति दिन		संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50		
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50		
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150 प्रति दिन		वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16,17	1000		
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16,17	1000		
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16,17	300 प्रति दिन		वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27,28,33	5000		
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27,28,33	5000		
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27,28,33	1000		संपत्ति की जब्ती
6.1	निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5000		
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5000		
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1500 प्रति दिन		वाहन की जब्ती

नोट: जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।



  
महाप्रबन्धक  
स्लज कल विभाग लखनऊ

## परिशिष्ट-9

संदर्भित दस्तावेज  
(खंड 37 देखें)

इसके लिए प्रत्येक पृष्ठ पर एक से अधिक प्रतियाँ

फार्म 5: अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फार्म,  
"अपीली प्राधिकारी के पास

(पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम:.....

2. आवेदक का पता:.....

3. नगर निगम अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई

नाम:..... पद:.....

4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई:.....

5. अपील दायर करने की तारीख:.....

6. सूचना विवरण

क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी प्रति संलग्न करें)

ख. अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

सत्यापन

मैं, .....(अपीलकर्ता का नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान:..... तिथि:.....

  
(SRHA)

  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ



## परिशिष्ट-10

(खंड 40 देखें)

### संदर्भित दस्तावेज

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है:

1. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916
2. उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022 कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।
4. सलाहकार नोट: शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. उत्तर प्रदेश में फीकेल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
6. एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशा निर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. आईएस: 2470-1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,  
(क) (भाग I) डिजाइन शर्तें और निर्माण  
(ख) (भाग II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।
8. सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।
9. बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।
10. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

  
(सहायक)

  
महाप्रबन्धक  
जल कल विभाग लखनऊ

UP-जलकल  
(डिप्टी 08 हाउस)

उपनिर्देशक जलकल

11. राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
12. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।
13. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।
14. तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।
15. सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।
16. सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
17. फीकल स्लज एवं सेप्टेज /सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली
18. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

महाप्रबन्धक  
जलकल विभाग,  
नगर निगम, लखनऊ

*(Handwritten Signature)*